

प्रेषक

निदेशक, खजाना तथा लेखा विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़ ।

सेवा में

हरियाणा राज्य में सभी आयुक्त एवं उपायुक्त ।
हरियाणा राज्य में सभी विभागाध्यक्ष ।
हरियाणा राज्य में सभी निगमों/बोर्डों के प्रबन्धक निदेशक/मुख्य
प्रशासक ।

विषय:- यादी क्रमांक टीए-हर-5टी-2023/ दिनांक:
श्री वासदेव गुप्ता, मुख्य लेखा अधिकारी (सेवानिवृत्ति दिनांक 30-11-2023) के हक
में बेबाकी प्रमाण पत्र जारी करने बारे ।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में ।

श्री वासदेव गुप्ता, मुख्य लेखा अधिकारी ने निदेशालय से 60 वर्ष की आयु उपरान्त
दिनांक 30-11-2023 को सेवानिवृत्त होना है । अधिकारी के पेंशन पेपरर्स महालेखाकार, हरियाणा
को भेजने हेतु उनके विरुद्ध बेबाकी प्रमाण पत्र की आवश्यकता है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि पत्र प्राप्ति के 20 दिन के अन्दर-अन्दर अधिकारी के
विरुद्ध कुछ भी देय बकाया होने की सूचना निदेशालय में भिजवाने का कष्ट करें। निर्धारित समय
में सूचना प्राप्त न हो सकने की स्थिति में अधिकारी के विरुद्ध देय बकाया शून्य समझते हुए
बेबाकी प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा एवं भविष्य में यदि कोई मामला प्राप्त होता है, तो
संबंधित विभाग स्वयं जिम्मेवार होगा ।

-5d-

संयुक्त निदेशक (प्रशा0)
कृते: निदेशक, खजाना तथा लेखा विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़ ।

पृ0 क्रमांक टीए-हर-5टी-2023/ 8969

दिनांक: 20/06/23

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार वित्त विभाग (वि0ले0शाखा) ।
2. निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा, सैक्टर-06,
पंचकूला को निदेशालय के पत्र क्रमांक टीए-हर(05टी)/2023/207 एवं 2022 दिनांक
10-01-2023 व 27-03-2023 के संदर्भ में पुनः इस अनुरोध के साथ भेजी जाती है कि
उक्त सूचना यथाशीघ्र निदेशालय भिजवाने का कष्ट करें, ताकि अधिकारी का पेंशन केस
समय पर महालेखाकार, हरियाणा को भेजा जा सके एवं किसी भी प्रकार की लिटिगेशन से
बचा जा सके। किसी भी प्रकार की देरी की स्थिति में आपका कार्यालय स्वयं जिम्मेवार
होगा ।